

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2022

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001
राज० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता महिपालसिंह पुत्र छितरमल

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. रामानन्द शर्मा पुत्र मातादीन, जाति खाती, निवासी 41, वार्ड नं० 5, ककराय, ग्रा०पो० मांदरी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू।
2. पिंकी देवी पत्नि चन्द्रभान, जाति खाती, निवासी 41, वार्ड नं० 5, ककराय, ग्रा०पो० मांदरी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू।
3. प्रमोद कुमार पुत्र रामानन्द शर्मा, जाति खाती, निवासी 41, वार्ड नं० 5, ककराय, ग्रा०पो० मांदरी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू।

Also At— रामानन्द शर्मा प्रोपर्टी एट पट्टा नं० 43, बुक नं० 36, संकल्प नं० 3, ग्राम ककराय, ग्रा०पो० मांदरी, ग्रा०पो० मांदरी, पं०स० व तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू।

4. रोशन पुत्र रमज्यान, नासी वार्ड नं० 8, टीबा बसई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा— प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. श्री आनन्दीलाल सैनी, एडवोकेट— अप्रार्थी सं० 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री रविकान्त सैनी, एडवोकेट— अप्रार्थी सं० 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं० 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 15.06.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 2,50,000/-रूपये अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये की ऋण सुविधा खाता सं० L9001060100454712 दिनांक 07.06.2016 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है— अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं० 43, बुक सं० 36, संकल्प नं० 3, ग्राम ककराय, वि०पो० मांदरी, ग्रा० पंचायत मांदरी, पं० समिति व तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू नपति 114.90 वर्ग गज अप्रार्थी रामानन्द शर्मा के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

- | | |
|------------|---------------------------|
| पूरब में | — मकान रामेश्वर व जगदीश |
| पश्चिम में | — आम रास्ता व खुद की भूमि |
| उत्तर में | — मकान स्वयं का |
| दक्षिण में | — आम रास्ता |



जिला कलक्टर झुंझुनू

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 25.10.2019 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 25.11.2019 द्वारा अं० धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 1,72,812/रुपये अक्षरे एक लाख बहतर हजार आठ सौ बारह रुपये मय ब्याज व खर्चा दिनांक 25.10.2019 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है— अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं० 43, बुक सं० 36, संकल्प नं० 3, ग्राम ककराय, वि०पो० मांदरी, ग्रा० पंचायत मांदरी, पं० समिति व तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं नपति 114.90 वर्ग गज अप्रार्थी रामानन्द शर्मा के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

पूरब में — मकान रामेश्वर व जगदीश
पश्चिम में — आम रास्ता व खुद की भूमि
उत्तर में — मकान स्वयं का
दक्षिण में — आम रास्ता

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थी सं० 1 व वकील अप्रार्थी सं० 2 व 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि उन्हे बकाया ण राशि जमा कराने हेतु समय प्रदान दकिया जावे।


अप्रार्थी सं० 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं० 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के साथ हुये अनुबन्ध के

अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी रामानन्द शर्मा के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं0 43, बुक सं0 36, संकल्प नं0 3, ग्राम ककराय, वि0पो0 मांदरी, ग्रा0 पंचायत मांदरी, पं0 समिति व तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं नपति 114.90 वर्ग गज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं